04– क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के अनुसार प्रविष्ट फीस एवं अपलोड किये गये संपरीक्षित लेखों हेतु परिशिष्ट–II अनुसार वचन पत्र

परिशिष्ट–II

वचन पत्र

मैं, प्राधिकृत व्यक्ति, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु ....निवासी ....प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संचालक/प्रबंधक/न्यासी की हैसियत से, एतद्द्वारा यहवचन देता हूँ कि –

(एक) प्ररूप–1 में दर्शाये गये विवरण तथा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत साक्ष्य मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(दो) प्ररूप–2 के माध्यम से प्रस्तुत लेखों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण किया गया है और अनुमानित बजट प्राक्कलन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हैं।

(तीन) जिला/राज्य समिति द्वारा जो जानकारी अथवा विवरण और साक्ष्य इत्यादि चाहा जाएगा, उसे नियत समय सीमा में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

(चार) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए जिला/राज्य समिति के निर्देशों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।

(पांच) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति इन नियमों के उपबंधो के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा तथा किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।

(छह) विद्यालय प्रबंधन द्वारा एकत्रित अतिरिक्त फीस, यदि कोई है, तो जिला/राज्य समिति द्वारा नियत कालावधि के भीतर संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।

(सात) प्रस्ताव के साथ संलग्न आय एवं व्यय विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(2) मैं अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने हेतु आश्वस्त करता/करती हूँ।

(3) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि न तो मैंने किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, और न ही झूठी या गलत जानकारी दी है।

स्थान :

तारीख...........

भवदीय

( )

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संचालक प्रबंध न्यास

प्राधिकृत अधिकारी / व्यक्ति

विद्यालय का नाम

न्यास/समिति/उपक्रम का नाम